[Shri V. Vijayasai Reddy]

retired employees has not kept pace with the rising inflation and has created huge disparity between the pensions drawn by the former employees of the same rank. The retired bankers, who are approximately 6 lakhs, are left with no option other than to approach the Finance Ministry to employees of the same rank. The retired bankers, who are approximately 6 lakhs, are left with no option other than to approach the Finance Ministry to change the system of pensions in the banking sector which is both discriminatory and disrespectful.

With these facts, I request the Government to instruct all the banks to:

1. register the Pension Fund under Indian Trusts Act, thereby giving it a level of protection; (2) recognize the majority retired employees associations as negotiating agents; (3) to appoint retired employees elected from the registered associations as their representatives on the "Pension Fund Trust Boards" duly constituted under the law; and (4) take any other such steps which could bring parity to the pensions withdrawn by ex- bankers of the same level.

**Demand to enhance posts of judges to address huge pendency of court cases**

**डा. अशोक बाजपेयी** (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, प्राय: कहा जाता है कि "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड"। यूं तो यह न्याय प्रणाली का प्राथमिक सिद्धान्त है, मगर मात्र एक कहावत बन कर रह गया है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि केवल सुप्रीम कोर्ट में 59,859 मुकदमे लम्बित हैं। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45.81 लाख मुकदमे लंबित हैं तथा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार 3.19 करोड़ मुकदमे विभिन्न जिला न्यायालयों एवं सह-न्यायालयों में लंबित हैं। इस प्रकार लंबित मुकदमों की संख्या स्वयं में गंभीर चिन्ता का विषय है।

मेरा मानना है कि उपलब्ध जजों की संख्या तथा जुडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सहारे इन्हें निपटाना संभव नही है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक ओर जुडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए तथा दूसरी ओर नए जजों की नियुक्ति या फिर निकट विगत में सेवामुक्त हुए जजों को पुन: सेवा-अवसर या सेवा-विस्तार दिए जाने से त्वरित जजों की संख्या बढ़ाकर लंबित मुकदमों को निस्तारित किया जा सकता है। वर्तमान समय में विभिन्न हाई कोर्टों में केवल 1,079 जज ही कार्यरत हैं। जिला न्यायालयों एवं सह-न्यायालयों में 23,597 जजों की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है, जबकि केवल 18,144 जज सेवारत हैं तथा 5,453 जजों के पद रिक्त हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने एरियर्स कमेटी का गठन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था। गंभीर अपराधों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट

का गठन भी किया जाता है, परन्तु लंबित मुकदमों की संख्या कम नही हो रही है, यह चिंता का विषय है। इसलिए मेरा विश्वास है कि लंबित मुकदमों के निस्तारण को गति प्रदान करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है, धन्यवाद।

**Demand to address the issue of non-payment of wages under MGNREGA to "Gram Rozgar Sevaks" in Uttar Pradesh**

**श्री पी.एल. पुनिया** (उत्तर प्रदेश): महोदय, मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का गारंटी रोजगार दिया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर "ग्राम रोजगार सेवक" मुख्य भूमिका निभाते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश में लगभग 37,000 ग्राम रोजगार सेवक हैं, जिन्हें प्रतिमाह 6,000 रुपये दिए जाते हैं। भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2009 के अनुसार "ग्राम पंचायत, जिला पंचायत एवं कार्यदायी संस्था, इन सभी को सम्मिलित करते हुए योजना मद में जनपद स्तर पर जिस धनराशि का व्यय किया जाएगा, उसका 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय मद में खर्च किया जाएगा।" एवं "प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि से सर्वप्रथम योजना के कार्मिकों का मानदेय का भुगतान किया जाएगा।" लेकिन उत्तर प्रदेश में नियमों का उल्लंघन करते हुए इनके वेतन का भुगतान न करके अन्य खर्चों को पहले पूरा किया जा रहा है। इस कारण हजारों "ग्राम रोजगार सेवकों" को 2017-18 से वेतन का भुगतान नही किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के 110 करोड़ एवं 2018-2019 के 60 करोड़ का भुगतान बाकी है, जबकि अन्य मद में खर्च की जा रही राशि में भारी अनियमितताओं की शिकायते हैं। अत: आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य सभी राज्यों को निर्देश दिए जाएं कि प्रशासनिक व्यय में सर्वप्रथम कार्मिकों का वेतन भुगतान हो। राज्यों द्वारा किए जा रहे अन्य व्यय का ऑडिट किया जाए तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

---

**MESSAGE FROM LOK SABHA**

**The Constitution (Schedule Tribes) Order (Amendment) Bill, 2020**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:–

"I am directed to inform you that the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019 which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 12th December, 2019, has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th February, 2020, with the following amendments:-